न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील जीसीएमएस संख्या 2023/362

हनुमान पुत्र श्रीनारायण मीना (फौत)

1/1 महेश कुमार मीणा पुत्र स्व0 हनुमान सहाय मीणा जाति मीणा निवासी आगरा रोड जैन मंदिर के पास पूराना घाट खानिया जयपुर ।

—अपीलांट

बनाम

1. रमशी मीना पुत्र मांगीलाल मीना फौत
   1/1 छोटी देवी पत्नि रमशी
   1/ 2 रामगोपाल पुत्र रमशी
   1/ 3 प्रकाश पुत्र रमशी
   1 /4 गोपी देवी पुत्री रमशी
2. नानगराम मीना पुत्र छोटूराम जाति मीना समस्त जाति मीना निवासी ग्राम सुमेल तहसील व जिला जयपुर ।
3. तहसीलदार जयपुर तहसील व जिला जयपुर ।

— रेस्पोडेन्ट्स

अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध न्यायालय तहसीलदार जयपुर आदेश दिनांक 12.07.2023 प्रकरण संख्या 02/2023 उनवानी छोटी देवी वगै0 बनाम हनुमान

उपस्थित—

1. श्री श्यामसुन्दर खण्डेलवाल वकील अपीलान्ट
2. श्री शम्भूदयाल गोठवाल वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 1/1 से 1/3 व 2 की ओर से।
3. राजकीय अधिवक्ता वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 3 की ओर से।

निर्णय

दिनांक—23.07.2025

संभागीय आयुक्त
जयपुर

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार जयपुर के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 12.07.2023 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि संभागीय आयुक्त, जयपुर से रिमाण्ड होकर प्राप्त होने पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार जयपुर द्वारा ग्राम सुमेल के खसरा नम्बर 377/811 रकबा 2 बीघा 7 बीस्वा के मृतक खातेदार छुट्टन पुत्र भौरिया जाति मीणा की विरासत वसीयतगृहिता मृतक रमशी मीणा पुत्र मांगीलाल मीणा के वारिसान् के नाम 1/2 व नानगराम मीणा पुत्र छोटूराम जाति मीना

निवासी सुमेल हि. 1/2 दर्ज करने के अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.07.2023 को दिए गये।

3. तहसीलदार जयपुर के उक्त निर्णय दिनांक 12.07.2023 से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश तहसीलदार जयपुर के निर्णय दिनांक 12.07.2023 को निरस्त कर उभयपक्षकारान् की मौजूदगी में पुनः मेरिट पर निर्णय किये जाने की प्रार्थना की।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई ।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि माननीय न्यायालय के समक्ष विवाद ग्राम सुमेल तहसील व जिला जयपुर स्थित आराजी खसरा नंबर 377/811 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा को लेकर है । जिसके खातेदार छुट्टन पुत्र भौरिया थे। प्रार्थी के पिता हनुमान का स्वर्गवास दिनांक 13.4.2013 को हो चुका था जिसकी जानकारी अप्रार्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय को नही दी और अधीनस्थ न्यायालय ने मृतक हनुमान के वारिसान को रिकार्ड पर लिये बिना ही पटवार हल्का सुमेल की रिर्पोट दिनांक 24.4.2016 मे आराजी उक्त को पैतृक मानकर व वारिसान की जानकारी न होने के आधार पर सक्षम न्यायालय से उत्तराधिकार प्रमाणपत्र प्राप्त करने की कार्यवाही के लिये निर्णय दिनांक 27.6.2016 को पारित कर दिया जिसे प्रार्थीगण रमसी वगै0 ने न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर मे अपील पेश की जिस पर निर्णय दिनांक 27.6.2016 को निरस्त कर प्रकरण निर्णय दिनांक 29.8.2022 से अधीनस्थ न्यायालय को रिमांड कर निर्देश दिये कि उभय पक्ष को साक्ष्य सबूत दस्तावेज इत्यादि प्रस्तुत करने का एवं सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करे ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि खातेदार छुट्टन नाऔलाद फौत हुआ है। वंशावली के मुताबिक प्रार्थी के पिता हनुमान पुत्र श्रीबक्स उर्फ श्रीनारायण मृतक छुट्टन के भ्राता होने के कारण उत्तराधिकार की द्वितीय श्रेणी के मुताबिक जायज वारिस है। अपीलांट के पिता हनुमान का स्वर्गवास दिनांक 13.4.2013 को हो चुका है इसलिये आराजी उक्त मे प्रार्थी के पिता हनुमान के स्थान पर हनुमान जी के प्रथम श्रेणी वारिसान पुत्र महेश व पुत्रीगण सुशीला, माया व सुमन के अधिकार निहित हो गये है और कस्टम के कारण मीणा जाति मे पुत्रीगण अधिकारिणी नही है इसलिये हनुमान जी का प्रथम श्रेणी वारिस पुत्र प्रार्थी महेश, खातेदार छुट्टन पुत्र भोरया के स्थान पर आराजी उक्त मे खातेदार दर्ज करवाने का अधिकारी है। अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष कायम मुकाम आवेदन के साथ अपने आपत्ति सहित प्रार्थना पत्र मय दस्तावेजात दिनांक 27.3.2023 को पेश किया गया जो अधीनस्थ तहसीलदार जी ने प्रश्नगत प्रकरण की आदेशिका दिनांक 12.6.2023 मे उल्लेखित किया है। दिनांक 12.6.2023 को प्रश्नगत प्रकरण मे साक्ष्य सबूत पेश करने के लिये आगामी पेशी 20.6.2023 नीयत की गई । दिनांक 20.6.2023 को अपीलांट वकालतन उपस्थित हुआ । दिनांक 20.6.2023 से आगामी पेशी 03.7.2023 साक्ष्य सबूत के लिये ही नियत रही लेकिन आदेशिका मे तहरीर नही किया गया और अपीलाधीन निर्णय दिनांक 12.7.2023 पारित कर दिया। अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को साक्ष्य पेश करने का अवसर न देकर

संभागीय आयुक्त
जयपुर

माननीय न्यायालय के रिमांड निर्णय दिनांक 29.08.2022 की अक्षरशः पालना नही की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट द्वारा पेश कायम मुकाम आवेदन को मंजूर कर मृतक हनुमान की जगह अपीलांट का नाम रिकार्ड पर लेना चाहिये था लेकिन ऐसा न कर आनन फानन मे मृतक हनुमान जिनका स्वर्गवास दिनांक 13.4.2013 को होने के उपरांत भी प्रश्नगत निर्णय पारित करने मे अधीनस्थ न्यायालय ने भंयकर गलती की है जो निरस्तनीय है। अपीलांट मृतक खातेदार छुट्टन का एक मात्र विधिक उत्तराधिकारी है एवं प्रश्नगत आराजी पर अपीलांट काबिज रहकर उपयोग उपभोग मे है। छुट्टन पुत्र भोरया की फर्जी वसीयत दिनांक 08.5.1976 को लिखी गई वसीयत जो छुट्टन पुत्र भोरया की मृत्यु के पश्चात पंजीकृत करवाई गई है के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेंटस के प्रभाव मे आकर प्रश्नगत निर्णय पारित किया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सभी तथ्यों पर गौर किये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध एवं विधिसम्यक नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश तहसीलदार जयपुर दिनांक 12.07.2023 को निरस्त कर उभयपक्षकारान् की मौजूदगी में पुनः मेरिट पर निर्णय किये जाने की प्रार्थना की।

6. रेस्पोडेण्ट्स के योग्य अधिवक्ता ने अपील का विरोध करते हुये लिखित बहस प्रस्तुत कर मुख्य रूप से कथन किया कि ग्राम सुमेल के खसरा नम्बर 377/811 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा के मृतक खातेदार छुट्टन पुत्र भौरिया जाति मीणा निवासी ग्राम सुमेल तहसील जयपुर की वसीयत श्री रमशी मीणा पुत्र मांगीलाल मीणा व नानगराम मीणा पुत्र छोटूराम मीणा के पक्ष में दिनांक 8 मई 1976 को की गई थी, जो उपपंजीयक षष्ठम जयपुर के यहां दिनांक 16.03.2006 को रजिस्टर्ड हुई। वसीयत गृहिता मृतक रमशी मीणा पुत्र मांगीलाल मीणा के वारिसान में उनकी पत्नि श्रीमती छोटीदेवी व पुत्रान रामगोपाल, प्रकाश मीणा व पुत्री गोपीदेवी, समस्त निवासी ग्राम सुमेल उपस्थित हुये, एवं शपथ पत्र प्रस्तुत कर उक्त वसीयत को अन्तिम वसीयत होना स्वीकार किया एवं वसीयतगृहिता स्व. रमशी मीणा के वारिस होना स्वीकार किया तथा अन्य वसीयतगृहिता नानगराम मीणा पुत्र छोटू मीणा भी उपस्थित हुए और उन्होने भी शपथ पत्र प्रस्तुत कर उक्त वसीयत को अन्तिम वसीयत होना स्वीकार किया, वसीयत के दो गवाह बद्रीनारायण मीणा व फैलीराम मीणा भी उपस्थित हुये और उन्होने शपथ पत्र प्रस्तुत कर उक्त वसीयत को अन्तिम वसीयत होना, वसीयत पर स्वयं का गवाह होना स्वीकार किया ।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.8.2022 की पालना में प्रकरण दर्ज कर विधिवत् कार्यवाही कर पटवारी हल्का से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार ग्राम सुमेल खसरा नम्बर 377/811 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा के खातेदार छुट्टन पुत्र भौरिया नाऔलाद फौत हो गया जिसकी वसीयत उक्त मृतक खातेदार ने रमशी मीणा व नानगराम मीणा के नाम की है, मौके पर भूमि खाली है एवं नानगराम मीणा पुत्र छोटूराम मीणा व मृतक रमशी मीणा पुत्र मांगीलाल मीणा के वारिसान के कब्जेकाश्त में है। अतः ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत् छुट्टन पुत्र भौरिया जाति मीणा की वसीयत के अनुसार वसीयतग्रहिता मृतक रमशी मीणा पुत्र मांगीलाल मीणा के वारिसान श्रीमती छोटी पत्नि रमशी, रामगोपाल, प्रकाश पि. रमशी, सुनीता उर्फ गोपी पुत्री रमशी जाति मीना निवासी सुमेल हि. ब. हि. 1/2 व नानगराम मीणा पुत्र छोटूराम जाति मीना निवासी सुमेल हि. 1/2 का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज

किये जाने के न्यायोचित अपीलाधीन आदेश पारित किये हैं। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश तहसीलदार जयपुर दिनांक 12.07.2023 को यथावत रखा जावे।

7. हमने विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा प्रकरण का अवलोकन किया एवं प्रकरण के तथ्यों एवं दस्तावेजी साक्ष्यों पर विचार किया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि प्रकरण में मूल विवाद मृतक खातेदार छुट्टन पुत्र भौरिया ग्राम सुमेल की विरासत को लेकर है। न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर द्वारा रिमाण्ड होकर प्राप्त होने पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार जयपुर द्वारा ग्राम सुमेल के खसरा नम्बर 377/811 रकबा 2 बीघा 7 बीस्वा के मृतक खातेदार छुट्टन पुत्र भौरिया जाति मीणा की विरासत वसीयतगृहिता मृतक रमशी मीणा पुत्र मांगीलाल मीणा के वारिसान् के नाम 1/2 व नानगराम मीणा पुत्र छोटूराम जाति मीना निवासी सुमेल हि. 1/2 दर्ज करने के अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.07.2023 को दिए गये हैं। इस संबंध में हमारा विनम्र मत है कि ग्राम सुमेल के खसरा नम्बर 377/811 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा के मृतक खातेदार छुट्टन पुत्र भौरिया जाति मीणा द्वारा अपने जीवनकाल में वसीयत श्री रमशी मीणा पुत्र मांगीलाल मीणा व नानगराम मीणा पुत्र छोटूराम मीणा के पक्ष में दिनांक 08.05.1976 को की गई जो कि वसीयतकर्ता की मृत्यु उपरान्त दिनांक 16.03.2006 को रजिस्टर्ड कराई गई। अपीलांट की आपत्ति है कि उनके पिता स्व0 हनुमान दिनांक 13.04.2013 को फौत हो गये थे फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्य की जानकारी होने के उपरान्त भी स्व0 हनुमान के वारिसान् को रिकार्ड पर लिये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में अपीलांट के वारिस महेश कुमार मीणा ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 27.03.2023 को उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। जिससे अपीलांट के वारिस को सुनवाई का अवसर दिया जाना प्रतीत होता है। अतः ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत् मृतक खातेदार छुट्टन पुत्र भौरिया जाति मीणा की विरासत वसीयतगृहिता मृतक रमशी मीणा पुत्र मांगीलाल मीणा के वारिसान् के नाम 1/2 व नानगराम मीणा पुत्र छोटूराम जाति मीना निवासी सुमेल हि. 1/2 दर्ज करने के अपीलाधीन आदेश दिए गये हैं। जो कि उचित एवं विधिसम्मत हैं। अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार की त्रुटि जाहिर नहीं होती है। अपीलाधीन आदेश में हस्तक्षेप किया जाना हम उचित नहीं समझते हैं।

अतः आदेश है कि: अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार जयपुर का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 12.07.2023 यथावत रखा जाता है।

(पूनम)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 23.07.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर